(17)

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

क्रमांक /वि.स./स्था./2020 रायपुर, दिनांक / /2020

//कार्यालय-आदेश//

कोविड -19 की वर्तमान विकट परिस्थितियों में विधान सभा सचिवालय के कार्य संचालन हेतु निम्नानुसार निर्देश जारी किए जाते है:-

1. विधान सभा सचिवालय के संचालन में दिनांक 07.09.2020 से तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की उपस्थिति 50 प्रतिशत होगी । इस हेतु संबंधित शाखा द्वारा पृथक से रोस्टर बनाते हुए ड्यूटी लगाई जाकर दिनांक 05 सितम्बर, 2020 तक प्रमुख सचिव महोदय से अनुमोदन प्राप्त कर स्थापना शाखा को अनिवार्य रूप से सूचित किया जाए ।
2. अनुभाग अधिकारी एवं उनसे वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति शत प्रतिशत रहेगी ।
3. विधान सभा सचिवालय में कोविड -19 के संक्रमण को ध्यान में रखते हुए कार्यालय में बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर पूर्णत: प्रतिबंध रहेगा ।
4. समस्त अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा कार्यालय में फेस मास्क के उपयोग तथा सोशल /फिजिकल डिस्टेंस रखने के संबंध में समय-समय पर जारी दिशा निर्देश को अनिवार्य रूप से पालन किया जाये ।
5. विधान सभा सचिवालय के प्रमुख द्वार एवं विभिन्न प्रमुख स्थानों पर सेनिटाइजेशन एवं नियमित साफ-सफाई की व्यवस्था पूर्व में जारी दिशा -निर्देशों के अनुसार की जाए ।

आदेश से,

(हस्ताक्षर)

अपर सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा

पृ.क्रमांक 9835/वि.स./स्था./2020 रायपुर, दिनांक 4 /9 /2020

प्रतिलिपि

01. मा. अध्यक्ष छत्तीसगढ़ विधान सभा के सचिव को मा. अध्यक्ष महोदय के सूचनार्थ।
02. मा. नेता प्रतिपक्ष, छत्तीसगढ़ विधान सभा के विशेष सहायक को मा. नेता प्रतिपक्ष महोदय के सूचनार्थ ।
03 मा. उपाध्यक्ष, छत्तीसगढ़ विधान सभा के निज सहायक को मा. उपाध्यक्ष महोदय सूचनार्थ
04. प्रमुख सचिव छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय के स्टॉफ ऑफिसर को प्रमुख सचिव महोदय के सूचनार्थ ।
05. समस्त अधिकारी/कर्मचारी, छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, रायपुर की ओर सूचनार्थ।
06. सर्वर कक्ष ।

(हस्ताक्षर)

उप सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा